

विपणन सहायता योजना

(Marketing Assistance Scheme)

इस योजना के तहत व्यक्तिगत शिल्पकारों SHG समूहों एवं NMDFC के लाभार्थियों को लाभकारी कीमतों पर अपने उत्पादों के विपणन (Marketing) और बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

क्र० सं०	मापदंड (Parameters)	
1	सांकेतिक स्टॉल की दरें	A. वर्गीकृत शहरों महानगर एवं राज्य की राजधानियों के लिए 22,000/-रु० per stall B. वर्गीकृत जिला मुख्यालय के लिए 18,000/-रु० per stall C. वर्गीकृत अन्य शहर के लिए 14,000/-रु० per stall
2	यात्रा भत्ता	द्वितीय श्रेणी के शयनयान/सबसे छोटे मार्ग से बस का किराया देय है।
3	निर्धारित मँहगाई भत्ता केवल एक कारीगर/SHG सदस्य	A. वर्गीकृत शहर के लिए 700/-रु० B. वर्गीकृत जिला मुख्यालय के लिए 600/-रु० C. वर्गीकृत अन्य शहर के लिए 500/-रु०
4	प्रतिभागियों की संख्या	60 स्थानीय कारीगर/लाभार्थी 20 राज्य के बाहर कारीगर/लाभार्थी
5	प्रदर्शनी में स्थलों की संख्या	40 स्थल
6	प्रदर्शनी की अवधि	अधिकतम 15 दिन